तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु समय चाहा/वास्ते अवलोकन कुरेजात/बहस कुरेजात पत्रावली तिथि 28/03/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	
28/03/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 03/04/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
3/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्राप्त कुरेजात पर वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्राप्त कुरेजात के अवलोकन के आधार पर वादीगण बाद दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक रूप से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी हो, पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 3/5/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा बटवारा

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या :–22 / 2025
प्रकरण दायर दिनांक– 03.02.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक– 03.04.2025

उनवान

1. अमित पुत्र हरिमोहन उम्र 42 वर्ष
2. नवीन कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम उम्र 42 वर्ष
3. प्रशांत कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम उम्र 45 वर्ष
4. पिन्कू उर्फ रामकृष्ण पुत्र लल्लूराम उम्र 55 वर्ष
5. बालकृष्ण पुत्र लल्लूराम उम्र 50 वर्ष
6. रजनी शर्मा पत्नि सीताराम उम्र 65 वर्ष
7. सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम उम्र 53 वर्ष

समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. विजय पुत्र हरिमोहन उम्र 40 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–22 / 2025 सन्–2025

निर्णय दिनांक 03.04.2025

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री भगवानसहाय सैनी के इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोलवा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 152 पुराना 150 के आराजी खसरा नं. 1064 / 929, 1067 / 931, 902, 915, 917, 918 कुल किता 06 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादी खातेदार, काश्तकार है तथा काबिज, काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संवत् 2074–77 पेश है प्रदीप फौत हो गया है। जिसके जायज व कानूनी वारिसान उसके दो भाई वादी संख्या 01 अमित कुमार व प्रतिवादी संख्या 01 विजय कुमार है। वादीगण एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति व समझौते से बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अभी भूमि का विधिक बंटवारा नहीं हुआ हैं जिससे पक्षकारो में लगान को लेकर

२५६८—

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

व अच्छी भूमि को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हो रहे है तथा वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि को संपरिवर्तन कराने व अपने हिस्से में आयी भूमि में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायतार्थ राशि के उपयोग-उपभोग हेतु वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिक बंटवारा करवाना चाहता है। भूमि वादग्रस्त पक्षकारान की शामलाती भूमि है। जिस प्रतिवादी, वादीगण के कब्जे काश्त में व फसल बोने व काटने में व्यवधान उत्पन्न करते है। दिनांक 24.01.2025 को प्रतिवादी एकराय होकर वादीगण की शामलाती भूमि पर आ गये तथा ऐलानियां कहा कि सम्पूर्ण भूमि में हम जुताई कर चने व सरसो की बुआई करेगे तथा वादीगण के हिस्से से वादीगण को बेदखल करेगे तथा बिना भूमि का विधिक बंटवारा कराये भूमि पर औधोगिक उपयोग हेतु फर्म आदि का कारखाना डालकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करके भूमि को बंजड भूमि बना देंगे। वादीगण ने प्रतिवादी को काफी समझाया और कहा कि भूमि शामलाती है तथा जमाबंदी में हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज काश्त है तथा उसी अनुसार तहसील में चल कर भूमि का विधिक बंटवारा करवा लेते है। किन्तु प्रतिवादी ने वादीगण के साथ तहसील में चलने से इंकार कर दिया तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिसे वादीगण व वहाँ उपस्थित लोगो ने समझाईश कर प्रतिवादी को मौके से भेजा विवादित भूमि का वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 24.01.2025 को विधिवत तकास्मा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गये। वादीगण विधिक तकास्मा कराकर अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोगग करना चाहता है। इसलिये भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार मुताबिक कब्जा तकास्मा किया जाकर वादीगण का अलग चक अलग खाता तथा अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पासबुक जारी करवाने का वादीगण विधिक अधिकारी है। इसलिये दावा बंटवारा पेश है। प्रतिवादी झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो येन केन प्रकारेण वादीगण को नुकसान पहुँचाते रहते है तथा प्रतिवादी, वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि पर शामलाती खातेदारी की आड में कब्जा करने व भूमि पर अवैध रूप से औद्योगिक कारखाना लगाने पर उतारू है। यदि प्रतिवादी अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण अपने जायज हक हकूक व भूमि से वंचित हो जावेगा तथा पक्षकारान के मध्य कई तरह के मुकदमे होकर वादीगण बर्बाद हो जावेगे। इसलिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे फसल बोते व काटते समय व प्राकृतिक उपज प्राप्त करते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार का कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करे ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करे इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 24.01.2025 को प्रतिवादी के द्वारा भूमि का तकास्मा कराने की इंकारी करने व वादीगण के हिस्से में आयी भूमि मुतदाविया में नाजायज कब्जा करने की धमकी देने से अंदर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुई है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण वर खिलाफ प्रतिवादी

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिकी पारित फरमाई जावें कि ग्राम कोलवा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में संख्या नया 152 पुराना 150 के आराजी खसरा नं. 1064/929, 1067/931, 902, 915, 917, 918 कुल किता 06 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर स्थित है का पक्षकारान में विधिवत रास्ते व आवागमन को ध्यान में रखते हुए मुताबिक बहामी बंटवारा अनुसार सरस नरस यथासंभव कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण के हक में आयी भूमि पर वादीगण का वास्तविक कब्जा कराया जाकर एवं लगान का बंटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पृथक पर्चा बनाया जाकर अलग अलग पासबुके जारी की जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें कि वे स्वयं उनके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट मददगारान भूमि मुतदाविया ग्राम कोलवा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 152 पुराना 150 के आराजी खसरा नं. 1064/929, 1067/931, 902, 915, 917, 918 कुल किता 06 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर स्थित है में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से फसल बोते व काटते समय विवाद करने से तथा प्राकृतिक उपज प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहे।

वादीगण वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया । वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 1024 दिनांकः 21.03.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वादीगण वकील द्वारा अवलोकन किया गया। कुर्रेजात पर वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं।

प्राप्त कुर्रेजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुर्रेजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है–

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियाँ			प्रस्तावित कुरैजात अनुसार इन्द्राज			
नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	कम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
अमित पुत्र हरिमोहन हि. 4/45 नवीन कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम हि. 1/18 प्रदीप पुत्र हरिमोहन हि. 1/18 प्रशांत कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम हि. 1/18 पिन्कू उर्फ रामकृष्ण पुत्र लल्लूराम हि. 1/5 बालकृष्ण पुत्र लल्लूराम हि. 1/5 रजनी शर्मा पत्नि सीताराम हि. 4/45 विजय पुत्र हरिमोहन हि. 1/18 सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम हि. 1/5 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1064/929 1067/931 902 915 917 918	1.000 0.02 0.67 0.17 0.47 0.91	1	अमित पुत्र हरिमोहन हि. 2658/5980, प्रदीप पुत्र हरिमोहन हि. 1661/5980 विजय पुत्र हरिमोहन हि. 1661/5980 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1064/929/1 1067/931 915/3 917/1	0.41 0.02 0.0120 01560
				कुल किता 4		0.5980
			2	बालकृष्ण पुत्र लल्लूराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	1064/929/3 915/2	0.50 0.0980
				कुल किता 2		0.5980
			3	सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	917/3 918/1	0.1540 0.4440
				कुल किता 2		0.5980
			4	पिंन्कू उर्फ रामकृष्ण पुत्र लल्लूराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	917/4 918/2 902/1	0.06 0.4660 0.0720
				कुल किता 3		0.5980
			5	रजनी शर्मा पत्नि सीताराम हिस्सा 2658/5980 नवीन कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम हि. 1661/5980, प्रशांत कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम हि. 1661/5980 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	902/2	0.5980
				कुल किता 1		0.5980
			6	शामलाती खातेदार	1064/929/2 917/2 915/1	0.09 0.10 0.06
कुल किता 6 कुल रकबा 3.24				कुल किता 3		0.25

४५६–

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 03.04.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई मुकाम–बॉंदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉंदीकुई

उनवान

1. अमित पुत्र हरिमोहन उम्र 42 वर्ष
2. नवीन कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम उम्र 42 वर्ष
3. प्रशांत कुमार खाण्डाल पुत्र सीताराम उम्र 45 वर्ष
4. पिन्कू उर्फ रामकृष्ण पुत्र लल्लूराम उम्र 55 वर्ष
5. बालकृष्ण पुत्र लल्लूराम उम्र 50 वर्ष
6. रजनी शर्मा पत्नि सीताराम उम्र 65 वर्ष
7. सत्यनारायण पुत्र लल्लूराम उम्र 53 वर्ष

समस्त जाति ब्राहमण निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. विजय पुत्र हरिमोहन उम्र 40 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी कोलवा तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–22/2025 सन्–2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री भगवान सहाय सैनी व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉंदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार बॉंदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

निज........................मुबलिग..बाबत्...

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत............ 03/4/25

मुहर

ओहदा...उप खण्ड अधिकारी
बॉंदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल NiL	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल NiL

03/4/25

उप खण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

22/2025

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान– अमित वगै. बनाम विजय

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–22/2025 सन्–2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री भगवान सहाय सैनी व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण वकील बहस पर मनन करने पर वादीगण वाद दावा तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 152 पुराना 150 के आराजी खसरा नंबर 1064/931, 902, 915, 917, 918 कुल किता 06 कुल रकबा 3.24 हैक्टे. वाके ग्राम कोलवा तह. बांदीकुई जिला दौसा का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य विधिवत उनकी उपस्थिति में, मौका व कब्जा काश्त अनुसार, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सरस–नरस (By Meets and Bounds) विभाजन कर कुरैजात प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस मय जमाबंदी के दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें।

निज.............................मुबलिग...बाबत्..

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.................. उप खण्ड अधिकारी
ओहदा.................. बांदीकुई (दौसा)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)